न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—41/2018

1. कुमरसैन
2. नारायनसिंह — पुत्रान हरीसिंह — जाति जाट निवासी
3. रामभरोसी — भरंगरपुर तहसील
4. महेशचन्द — व जिला भरतपुर
5. रामवती पुत्री हरीसिंह
6. गौरादेवी
7. वासमती
8. मीनादेवी — पुत्रियान निहालसिंह
9. अनूपकुमारी

..... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—20/12/2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के हाल आराजी खसरा नंबर 641/0.16 , 643/0.14 किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जो कि साविक आराजी खसरा नम्बरान 589 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व 591 रकबा 17 बिस्वा से निर्मित हुआ है। लेकिन आराजी पर इन्द्राज वादीगण के गैरखातेदारी के हो रहे हैं जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है।

वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है —

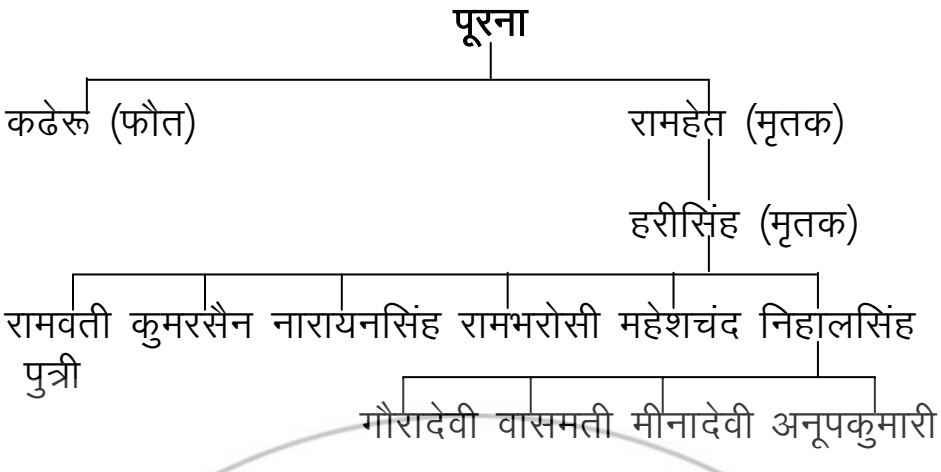

आराजी पर वादीगण के इंद्राज गैर खातेदारी के दर्ज हो रहे हैं जबकि वादीगण को आराजी पर खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। आराजी पर वादीगण संवत् 2012 के पूर्व से ताहाल तक काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सवत् 2012 में वादीगण के पूर्वज कढेरू के इंद्राज उक्त आराजी पर खुद काश्त के रूप में दर्ज हैं। संवत् 2017 में उक्त आराजी पर वादीगण के पिता/बाबा हरीसिंह गैर खातेदार दर्ज रहे हैं तथा संवत् 2025 में भी वादीगण के पिता/बाबा हरीसिंह के गैर खातेदारी इंद्राज हो रहे हैं तथा वर्तमान में भी वादीगण के इंद्राज उक्त आराजी पर गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। वादीगण संवत् 2012 के पूर्व से लगातार आराजी पर काबिज रहे हैं। कानूनन वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन इंद्राज गैर खातेदारी के होने से वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण पूर्ण रूप से आराजी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और न ही आराजी को विकसित कर सकते हैं। इसी कारण वादीगण उक्त आराजी से वर्तमान गैर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदारी इंद्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

दिनांक 01.05.2018 को वादीगण ने प्रतिवादी से खातेदारी दर्ज कराने का आग्रह किया तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया और आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है। राजस्थान सरकार के विरुद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र अलग से दावा के साथ पेश किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 641/0.16, 643/0.14 किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर गैर खातेदार इंद्राज कलम किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल संवत् 2071–2074, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2017, नकल जमाबंदी 2025 एवं संवत् 2012–2015 तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2071–2074 पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार दिनांक 04.12.2018 को न्यायालय में उपस्थित आये एवं दिनांक 10.12.2018 को अपना जवाब दावा पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकी कायम की गईं–

तनकी नंबर 1. – "आया वादीगण वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 641/0.16, 643/0.14 किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।" .....वादीगण

तनकी नंबर 2. – "आया वादीगण द्वारा धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है। इस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है?" .....प्रतिवादी

3. –दादरसी?

उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 14.12.2018 को साक्ष्य वादी में गवाह कुमरसैन का शपथपत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब को ही साक्ष्य मानने हेतु निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी बावत् तहसीलदार भरतपुर से मौका व कब्जे काश्त की रिपोर्ट ली गई जो संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

<u>तनकी नंबर 1. –</u> "आया वादीगण वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 641/0.16, 643/0.14 किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।" – इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है। वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 641/0.16, 643/0.14 गत खसरा नंबर 589 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व 591 रकबा 17 बिस्वा से निर्मित हुए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2012–2015 के अनुसार साविक आराजी खसरा नंबर 589 व 591 पर जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में कढेरू बल्द पूरना कौम जाट भरंगरपुर साकिन देह एवं कॉलम संख्या 5 में कृषक के रूप में खुद कढेरू दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2017–2020 में उक्त आराजी पर हरीसिंह पुत्र रामहेत कौम जाट साकिन देह गैर खातेदार के रूप में अंकित हैं तथा जमाबंदी संवत् 2025–2028 में भी हरीसिंह पुत्र रामहेत कौम जाट साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त साविक नम्बरान से बने हाल आराजी खसरा नम्बरान पर वादीगण गैर खातेदार काश्तकार काविज आराजी हैं । इस प्रकार वादीगण के पिता/बाबा कढ़ेरू व हरीसिंह संवत 2012 से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहे हैं । वादीगण को यह आराजी अपने बाबा/पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है । खातेदारी अधिकारों के लिए वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व कब्जा होना तथा कृषक होना व लगान अदा करना आवश्यक है । इस बावत प्रस्तुत साक्ष्य नकल खसरा गिरदावरी संवत 2071–2074 एवं पटवारी/तहसीलदार भरतपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2018 से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है । इस प्रकार वादीगण अपने हिस्सानुसार स्वयं को गैर खातेदार से खातेदार घोषित करा पाने के पूर्ण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रूपेण अधिकारी है । अतः यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नंबर 2. – "आया वादीगण द्वारा धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है। इस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है?"– इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है। प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य के लिए कोई भी न्यायिक नजीर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि दावा करने से पूर्व वादीगण को धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक हो। वादगण द्वारा दावा में यह स्पष्ट अंकन किया है कि दावा अनिवार्य प्रकृति का है इसलिए बिना धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही दावा किया गया है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र अलग से न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर वाद को दर्ज कर विधिवत सुनवाई की है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

दादरसी –उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपना वादपत्र साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। इस कारण वादी गैर खातेदार से खातेदार कृषक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने योग्य है। इस प्रकार दावा वादीगण स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 641/0.16, 643/0.14 पर वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गैर खातेदार के पूर्व इन्द्राज कलमजन किये जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर